GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.745
TO BE ANSWERED ON 07.02.2023

DETERMINATION OF OBC NON-CREAMY LAYER

745. ADV. DEAN KURIAKOSE:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether the Government has the details of the revision of Income criteria for determining OBC Non-Creamy Layer status of candidates over the years, including the latest revision;

(b) if so, the details thereof for the last twenty five years;

(c) whether the Government has received any recommendation to revise the present income criteria of Rupees Eight Lakh per annum and if so, the details thereof;

(d) whether the Government proposes to revise the limit to Rupees Twelve Lakh before the completion of the next financial year; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(SHRI A. NARAYANASWAMY)

(a) & (b): The income criteria for determining OBC Non- Creamy layer status of candidates was fixed as Rs.1.00 lakh per annum at the time of introduction of the OBC reservation scheme on 08.09.1993. This income limit has since been revised four times so far, as under:

	Income limit (Annual)	Date of Revision
First	Rs. 2.5 lakhs	9.3.2004
Second	Rs. 4.5 lakhs	14.10.2008
Third	Rs.6.0 lakhs	27.5.2013
Fourth	Rs.8.0 lakhs	13.9.2017

(c): The Department officially have not sought the recommendation from National Commission for Backward Classes (NCBC) for revision of the existing OBC Creamy layer criteria.

(d) & (e): There is no proposal for revision of the OBC Non-Creamy Layer limit since the existing income limit is considered sufficient.

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 745

उत्तर देने की तारीख : 07.02.2023

ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर का निर्धारण

745. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्षों से अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर-क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए नवीनतम संशोधन सहित आय मानदंडों में संशोधन संबंधी ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो विगत पच्चीस वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आठ लाख रुपए प्रति वर्ष की वर्तमान आय मानदण्ड में संशोधन करने की कोई सिफारिश प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का अगले वित्त वर्ष के पूरा होने से पहले इस सीमा को संशोधित कर बारह लाख रुपए करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) और (ख): दिनांक 08.09.1993 को ओबीसी आरक्षण स्कीम शुरू करते समय उम्मीदवारों की ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर की स्थिति के निर्धारण के लिए आय मानदंड 1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। इस आय सीमा को अभी तक निम्नानुसार चार बार संशोधित किया जा चुका है:

	आय-सीमा (वार्षिक)	संशोधन की तारीख
प्रथम	2.5 लाख रुपए	9.3.2004
द्वितीय	4.5 लाख रुपए	14.10.2008
तृतीय	6.0 लाख रुपए	27.5.2013
चर्तुथ	8.0 लाख रुपए	13.9.2017

(ग): विभाग ने आधिकारिक रूप से ओबीसी क्रीमी लेयर के मौजूदा मानदंड के संशोधन हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) से सिफारिश नहीं मांगी है।

(घ) और (ड.): चूंकि मौजूदा आय सीमा को पर्याप्त माना जा रहा है इसलिए ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

https://www.staffnews.in